

BUDGET ANNOUNCEMENT**YEAR 2021-22**

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 7 (8) राज/2/2021 पार्ट 1

जयपुर, दिनांक : 27/07/2021

-: आज्ञा :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा बिन्दु संख्या 236 (संशोधित बिन्दु संख्या 236.03) तथा वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर की गई घोषणा संख्या 65 (संशोधित बिन्दु संख्या 436.00) की क्रियान्विति हेतु नवसृजित कार्यालयों में निम्नानुसार नवीन पदों के सृजन किये जाने की एतद्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है :-

नवीन 02 तहसील :- नौगावा जिला अलवर एवं गामड़ी अहाड़ा जिला डूंगरपुर
बजट मद 2053-094-(02)-{00}(रा.नि.)

क्र.सं.	पदनाम	लेवल	प्रति कार्या० संख्या	कुल पद
1.	तहसीलदार	L-12	1	2
2.	नायब तहसीलदार	L-11	1	2
3.	तहसील राजस्व लेखाकार	L-10	1	2
4.	सहायक कार्यालय अधीक्षक (सहायक प्रशासनिक अधिकारी)	L-10	1	2
5.	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	1	2
6.	सूचना सहायक	L-8	1	2
7.	वरिष्ठ सहायक	L-8	3	6
8.	कनिष्ठ सहायक	L-5	4	8
9.	वाहन चालक	L-5	1	2
10.	च.श्रे. कर्मचारी	L-1	4	8
	योग		18	36

बजट मद 2029-00-103-02-00(रा.नि.)

क्र.सं.	पदनाम	लेवल	प्रति कार्या० संख्या	कुल पद
1.	ऑफिस कानूनगो	L-10	1	2
2.	अति. ऑफिस कानूनगो	L-10	1	2
3.	रिसोर्स परसन पटवारी	L-5	2	4
4.	च.श्रे. कर्मचारी	L-1	3	6
	योग		7	14

1. नव सृजित कार्यालयों को विभागीय भवन उपलब्ध होने तक किराये के भवन में संचालित करने की सहमति दी जाती है।

2. प्रस्तावित कार्यालयों हेतु निम्नानुसार किराया वाहन एवं कार्यालय तथा आवास हेतु टेलिफोन स्वीकृत किए जाते हैं :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय की संख्या	कार्यालय हेतु दूरभाष की संख्या	आवास हेतु दूरभाष की संख्या	वाहनों की संख्या	टिप्पणी
1	नवीन तहसील	2	2	2	2	पदस्थापन की स्थिति में ही तत्संबंधी नियमानुसार वाहन किराये पर लिये जा सकते हैं।

4. वित्त विभाग की उक्त सहमति नव सृजित/कमोन्नत कार्यालयों के गठन हेतु जारी अधिसूचना की दिनांक से प्रभावी होगी।

5. प्रस्तावित कार्यालयों के संचालन/स्थापना के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि संगत लेखाशीर्ष में उपलब्ध राशि में से व्यय करने की सहमति दी जाती है। अतिरिक्त बजट राशि के प्रस्ताव विभाग द्वारा यथा समय प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई डी क्रमांक 162100635 दिनांक 23.07.2021 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सीताराम जाट)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान महालेखाकार सी.ले.प.(आई.सी.-3) राज0 जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2)/बजट, विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग नवसृजित कार्यालयों की स्वीकृति अनुसार टेलीफोन की स्वीकृति दिये जाने के क्रम में।
5. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-1 एवं 5) विभाग।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को उनके पत्र क्रमांक: राम/प-1/9/370 /वि.स्था/12/4047 दिनांक 02.07.2021।
7. अति0 निबन्धक, (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल राज0 अजमेर।
8. अनुभागाधिकारी, राजस्व (ग्रुप-5) विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव